संख्या– 111/2018/1052/26–3–2018–4(215)/90टी.सी.।।।

प्रेषक,

मनोज सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
2–निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग–3 लखनऊ: दिनांक: 09 अप्रैल 2018

विषय:–शैक्षिक सत्र 2018–19 में पूर्वदशम कक्षा (9 व 10) छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत मास्टर डाटा बनाने एवं अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति विवरण हेतु समय–सारिणीके सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक–04/स.क.शिक्षा–अ/3/पूर्व0स0सा0/2018–19, दिनांक–02.04.2018 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या पर सम्यक विचारोपरान्त पूर्वदशम (कक्षा 9 व 10) छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत मास्टर डाटा बेस बनाने एवं छात्रवृत्ति वितरण हेतु शैक्षिक सत्र 2018–19 के लिये निम्नवत् समय–सारिणी निर्गत की जाती है:–

क0	प्रकियात्मक कार्यवाही	कार्यवाही की पूर्व समयावधि कक्षा 9–10 हेतु
	मास्टर डाटा के सम्बन्ध में	
1	प्रदेश में स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने के लिये आनलाइन आवेदन करने की कार्यवाही किया जाना, जिला विद्यालय निरीक्षक के समक्ष समस्त प्रपत्र प्रस्तुत करना, जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना (नवीन संस्थायें) एवं मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनायें भरकर/अपलोड करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना।	01 जून 2018 से 15 जुलाई 2018 तक
2	सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा उनकी अधिकारिता में आने वाले समस्त शिक्षण संस्थानों में स्वीकृत सीटों की संख्या एवं पाठ्यकम आदि की प्रमाणिकता को शत–प्रतिशत ऑनलाईन सत्यापित करना।	16 जुलाई 2018 से 16 अगस्त 2018 तक।
	आनलाइन आवेदन के सम्बन्ध में	
3	छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया जाना।	01 जुलाई से 31 अगस्त 2018 तक
4	छात्र द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द, लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेन्ट सेक्शन में प्रदर्शित किया जाना।	छात्र द्वारा आनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में।
5	छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्डकापी समस्त वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	आवेदन पत्र भरने के 06 दिन के अन्दर, विलम्बतम

प्र रमेश।
उ: निदेशालय सूचना/समस्त DD NIC व समस्त DSWO को भेजें
09/4/2018
सिद्धार्थ मिश्र
छात्रवृत्ति अधिकारी नोडल
मुख्यालय

dp dwivedi

		06 सितम्बर 2018 तक।
6	छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं सलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करना, सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	02 जुलाई से तक 12 सितम्बर 2018 तक।
7	छात्र द्वारा आवेदन पत्र नवीनीकरण (Renewal) न करने का कारण संस्था द्वारा आनलाइन छात्र के सम्मुख अंकित किया जाना एवं जिलाधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा टीम बनाकर संस्था एवं छात्रों का भौतिक सत्यापन किया जाना।	13 सितम्बर से 15 अक्टूबर 2018 तक
8	सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 9–10 हेतु) द्वारा वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या आदि की प्रमाणिकता को ऑनलाईन सत्यापित करना।	02 जुलाई से 20 सितम्बर 2018 तक
9	PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जाना, आवेदन पत्र में अंकित आधार नम्बर का मिलान किया जाना एवं एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना।	13 सितम्बर से 10 अक्टूबर 2018 तक
10	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना एवं छात्रों को छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से शुद्ध डाटा एवं स्वीकृत डाटा लॉक किया जाना।	30 अक्टूबर 2018 तक
11	सन्देहास्पद डाटा को कारणों सहित छात्र के लागिन पर प्रदर्शित किया जाना एवं आनलाइन आवेदन में की गयी त्रुटियों को छात्र द्वारा ठीक किया जाना।	11 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2018 तक
12	छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र की त्रुटियों को ठीक करके हार्डकापी समस्त वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	आवेदन पत्र भरने के 03 दिन के अन्दर, विलम्बतम 23 अक्टूबर 2018 तक।
13	त्रुटियों को ठीक करके छात्र द्वारा जमा किये गये आवेदन पत्रों का शिक्षण संस्थान द्वारा संलग्न अभिलेखों से मिलान करके ऑनलाईन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	12 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2018 तक
14	छात्र द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण किया जाना एवं आवेदन पत्र में अंकित आधार नम्बर का मिलान किया जाना।	27 अक्टूबर से 10 नवम्बर 2018 तक
15	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सन्देहास्पद एवं शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना एवं पात्र छात्रों की छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से शुद्ध डाटा एवं स्वीकृत डाटा लॉक किया जाना।	30 नवम्बर 2018 तक।
16	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मॉग सृजित कराना।	10 दिसम्बर 2018 तक
17	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर कोषागार के ई–पेमेण्ट (e-payment) के तहत PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।	15 दिसम्बर 2018 तक

dp dwivedi

2— अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त समय—सारिणी का अपने स्तर से प्रचार—प्रसार कराते हुये सुसंगत छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2018—19 में पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजना का कियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(मनोज सिंह)
प्रमुख सचिव।

पृ0सं0—111/2018/1052(1)/26—3—2018 तद्‌दिनांकः—

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2— प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, वित्त, नियोजन, मा0शिक्षा, उ0प्र0शासन।
3— समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4— निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5— निदेशक, कोषागार, उ0प्र0लखनऊ।
6— निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।
7— मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8— निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
9— समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
10— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रवि शंकर मिश्र)
अनुसचिव।

निदेशालय समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।

संख्या C-75/स0क0/शिक्षा—अ/2/ /2018—19

लखनऊःदिनांक, 09 अप्रैल 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— प्रमुख सचिव, उ0प्र0शासन, समाज कल्याण विभाग।
2— निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण/पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग उ0प्र0।
3— समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0।
4— समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5— वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, योजना भवन, लखनऊ।
6— समस्त मण्डलीय उप निदेशक, समाज कल्याण उ0प्र0।
7— उप निदेशक, अनुसूचित जनजाति विभाग उ0प्र0।
8— समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0।

9.4.18

(जगदीश प्रसाद)
निदेशक